



समाहरणालय, भागलपुर
जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय
नामांकन हेतु आवेदन आमंत्रण सूचना

भागलपुर जिलान्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्राओं के लिए संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग बालिका कल्याण छात्रावास, विश्वविद्यालय परिसर, भागलपुर में रिक्ति के विरुद्ध शैक्षणिक सत्र 2026-2027 में नामांकन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

क्र० सं०	छात्रावास का नाम	आवासन क्षमता	नामांकित छात्रा	रिक्त बल	अभ्युक्ति
01	अन्य पिछड़ा वर्ग बालिका कल्याण छात्रावास, विश्वविद्यालय परिसर, भागलपुर।	100	65	35	

उक्त छात्रावास में नामांकन हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र सूचना प्रकाशन की तिथि से दिनांक- 30.09.2026 तक प्राप्त किये जायेंगे। अधिक जानकारी के लिए छात्र/अभिभावक प्रत्येक कार्य दिवस को अपराह्न 02:00 बजे से 05:00 बजे तक जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय, भागलपुर में संपर्क कर सकते हैं।

नामांकन की शर्तें :-

अन्य पिछड़ा वर्ग बालिका कल्याण छात्रावास, विश्वविद्यालय परिसर, भागलपुर।

- आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्रा हो।
- बिहार राज्य का निवासी हो।
- भागलपुर स्थित सरकारी/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रम में 2026-27 में नामांकित एवं अध्ययनरत हो।
- अर्हता प्राप्त आवेदकों में उच्च प्राप्तांक वाले छात्राओं को प्राथमिकता दी जायेगी एवं समान प्राप्तांक की स्थिति में निम्न आय वाले अभिभावक के बच्चों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- 5 प्रतिशत सीटे दिव्यांग छात्राओं के लिए आरक्षित है।

छात्राओं को प्रदत्त सुविधाएँ :-

- छात्राओं को निःशुल्क आवासन की सुविधा।
- सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी एवं रसोईया की मुफ्त सुविधा।
- शुद्ध पेयजल की सुविधा।
- CCTV, Wi-Fi**, डिजीटल लाईब्रेरी एवं खेल-कूद की सामग्री की उपलब्धता।
- प्रतिमाह 15 किलोग्राम खाद्यान्न (9 कि०ग्रा० चावल एवं 6 कि०ग्रा० गेहूँ) का लाभ।
- प्रति छात्रा प्रतिमाह 2000 (दो हजार) रुपये का छात्रावास अनुदान का लाभ।

आवेदन की प्रक्रिया :-

- आवेदक द्वारा <https://bcebconline.bihar.gov.in> पर जाकर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
- ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने के दौरान निम्नांकित प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित प्रति अपलोड करना आवश्यक होगा :-
 - आवेदक एवं अभिभावक का पासपोर्ट साइज फोटो।
 - RTPS** से सत्यापित जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य।
 - विगत परीक्षा के अंक प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
 - बैंक पासबुक की छायाप्रति (खाता संख्या एवं **IFSC** कोड सहित)।
 - भागलपुर जिला में स्थित शिक्षण संस्थानों में नामांकन से संबंधित साक्ष्य।
 - अध्ययनरत संस्थान का सिफारिश पत्र (**Recommendation letter**)
- विज्ञापन संख्या।

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग
कल्याण पदाधिकारी, भागलपुर

उक्त सूचना state.bihar.gov.in/prdbihar पर भी देखी जा सकती है।

PR. No.011093 (Welfare) 2026-27

नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।